भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1820
उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

आभूषण व्यापार उद्योग

1820. **डॉ. डी. रवि कुमार:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा आभूषण व्यापार उद्योग में आभूषणों के वजन के गलत निरूपण के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान वजन घटाने को मानकीकृत और प्रकट करने वाले विनियम लागू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय का विचार आभूषण उद्योग में कुशल श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा किस प्रकार सुनिश्चित करने का है, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में इन कामगारों को केवल तीन प्रतिशत तक ही अपव्यय मुआवजा पहुंचता है;

(घ) क्या सरकार ने वजन को गलत ढंग से प्रस्तुत करने और अपर्याप्त श्रम मुआवजे जैसी अनैतिक प्रथाओं का आकलन करने के लिए आभूषण उद्योग के हितधारकों के साथ अध्ययन कराया है अथवा परामर्श किया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे; और

(ङ) क्या उपभोक्ताओं और कामगारों के लिए उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए आभूषण उद्योग में पारदर्शिता और नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई पहल या नीतियां प्रस्तावित की जा रही हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : विधिक मापी विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, आभूषणों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले वजन उपकरण और बट्टो (वेट्स) का सत्यापन, साथ ही इसके तहत संबंधित प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। रत्न और आभूषण के निर्यात के मामले में, निर्यात के समय आभूषण के भार के संबंध में सीमा शुल्क द्वारा माल का 100 प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है। जैसा कि विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत अधिसूचित प्रक्रियाओं की हैंडबुक द्वारा निर्धारित किया गया है, श्रम मुआवजा मूल्य संवर्धन मानदंडों की जांच भी निर्यात के समय ही सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) : रत्न और आभूषणों के निर्यात के मामले में, विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत अधिसूचित प्रक्रियाओं की हैंडबुक के अनुसार सोने/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों के लिए अपव्यय या विनिर्माण हानि स्वीकार्य होती है।

नीति आयोग के तत्वावधान में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) ने वर्ष 2020 में 'भारतीय स्वर्ण उद्योग' में श्रमिकों की 'सामाजिक-आर्थिक और कामकाजी स्थितियों' नामक एक पेपर प्रकाशित किया है। रत्नों और आभूषणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारें स्वयं या उद्योग निकायों द्वारा आभूषण पार्कों की स्थापना किए जाने को बढ़ावा देने पर विचार कर रही हैं। ये एकीकृत औद्योगिक पार्क एक ही स्थान पर विनिर्माण इकाइयों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, औद्योगिक कामगारों के लिए आवास, वाणिज्यिक सहायता सेवाएं प्रदान करने और एक प्रदर्शनी केंद्र सहित सभी संबंधित सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। ज्वैलरी पार्क व्यापार को आधुनिक बनाने में भी मदद करेंगे, चूंकि इकाइयों को बेहतर ढंग से डिजाइन किया जाएगा और आधुनिक मशीनरी के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) : विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, आभूषणों के व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली वजन करने वाली मशीनों का सत्यापन का कार्य विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

*****